

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(65)नविवि / 11/2007 पार्ट

जयपुर दिनांक

21/03/18

आदेश

राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियन्ता सेवा (भवन एव पथ) नियम, 1954 जो न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(1)नविआ/81 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किये गये हैं, के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत) के पद की अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-

डिग्रीधारी

क्र.सं०	नाम अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जन्म दिनांक
1.	श्री मदन लाल चौधरी	15.08.1963

उक्त अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची पर यदि किसी अभियन्ता को कोई आपत्ति हो तो इस सूची के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि में समुचित तथ्यों का उल्लेख करते हुए समुचित साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अथवा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि समाप्ति पर इस वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

*Dr* 12/3/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास (.....)।
5. संबंधित अभियन्तागण।
6. रक्षित पत्रावली।

*Dr* 12/3/18

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(65)नविवि/ 11/2007 पार्ट

जयपुर दिनांक

12 MAR 2018

आदेश

राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियन्ता सेवा (भवन एव पथ) नियम, 1954 जो न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(1)नविआ/81 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किये गये हैं, के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) के पद की अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-


डिग्रीधारी

क.सं०	नाम अधिशाषी अभियन्ता	जन्म दिनांक
1.	श्री महेश आडा	20.12.1965
2.	श्री जे.पी.शर्मा	10.05.1967
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार बिसारिया	06.11.1973

उक्त अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची पर यदि किसी अभियन्ता को कोई आपत्ति हो तो इस सूची के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि में समुचित तथ्यों का उल्लेख करते हुए समुचित साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अथवा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि समाप्ति पर इस वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा।


राज्यपाल की आज्ञा से

 12/3/18  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मौननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास (.....)।
5. संबंधित अभियन्तागण।
6. रक्षित पत्रावली।

 12/3/18  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(65)नविवि/11/2007 पार्ट

जयपुर दिनांक

12 MAR 2018

आदेश

राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियन्ता सेवा (भवन एव पथ) नियम, 1954 जो न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(1)नविआ/81 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किये गये हैं, के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में सहायक अभियन्ता (विद्युत) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी के पद को अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-

डिग्रीधारी

क.सं०	नाम सहायक अभियन्ता	जन्म दिनांक
1.	श्री भंवर लाल चौधरी	20.12.1969 (अधि. अभि. के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत)
2.	श्री संदीप माथुर	07.04.1964 (अधि. अभि. के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत)
3.	श्री अभिषेक परिहार	01.10.1982
4.	श्री राकेश गहलोत	24.08.1983


डिप्लोमाधारी

क.सं०	नाम सहायक अभियन्ता	जन्म दिनांक
1.	श्री योगेश चन्द्र सैनी	20.08.1962

उक्त अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची पर यदि किसी अभियन्ता को कोई आपत्ति हो तो इस सूची के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि में समुचित तथ्यों का उल्लेख करते हुए समुचित साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अथवा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि समाप्ति पर इस वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से



(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास (.....)।
5. संबंधित अभियन्तागण।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(65)नविवि/ 11/2007 पार्ट

जयपुर दिनांक

2 MAR 2018

आदेश

राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियन्ता सेवा (भवन एव पथ) नियम, 1954 जो न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(1)नविआ/81 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किये गये हैं, के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिग्रीधारी के पद की अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-


डिग्रीधारी

क्र.सं०	नाम कनिष्ठ अभियन्ता	जन्म दिनांक
1.	श्री तेजमल शर्मा	16.12.1968

उक्त अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची पर यदि किसी अभियन्ता को कोई आपत्ति हो तो इस सूची के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि में समुचित तथ्यों का उल्लेख करते हुए समुचित साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्धारित अवधि ले अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अथवा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि समाप्ति पर इस वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा।


राज्यपाल की आज्ञा से

  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास (.....)।
5. संबंधित अभियन्तागण।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम